न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील इन्तकाल संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/21/17	25—05—2017	09—04—2018

1. प्रेम पत्नि स्वर्गीय रामफल
2. दयाराम पुत्र स्वर्गीय रामफल
3. कालूराम पुत्र स्वर्गीय रामफल
4. राजपाल पुत्र स्वर्गीय रामफल
5. कशमीरा पुत्री स्वर्गीय रामफल
6. दया पुत्री स्वर्गीय रामफल
7. धनमन्ती पुत्री स्वर्गीय रामफल
8. धर्मा पुत्री स्वर्गीय रामफल
9. बुद्दी पुत्री बालू जाति गुर्जर निवासी बहादरपुर पट्टी कटला तहसील व जिला अलवर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार अलवर तहसील अलवर जिला अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप तहसीलदार बहादरपुर (अलवर) दिनांक 09—09—2013 बाबत इंतकाल संख्या 909 वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला तहसील अलवर।

उपस्थितः—

01. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —वकील अपीलान्ट
02. पेरोकार सरकार —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट्स ने यह अपील उप तहसीलदार बहादरपुर के आदेश दिनांक 09—09—2013 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 909 वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला तहसील अलवर स्वीकार किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ० को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई । वक्त बहस वकील रैस्पोडेन्ट संख्या—1 उपस्थित नहीं आये। वकील अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में अकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने सनद/पट्टा आराजी खसरा नम्बर 2230 रकबा 0.03 है0, 2231 रकबा 0.01 है0, 2233 रकबा 0.05 है0, 2234 रकबा 0.05 है0, 2235 रकबा 0.54, 2236 रकबा 0.34 है0, 2237 रकबा 0.09 है0, 2238 रकबा 0.29 है0, 2239 रकबा 0.49 है0, 2240 रकबा 0.13 है0, 2241 रकबा 1.06 है0, 2242 रकबा 0.01 है0, 2243 रकबा 0.01 है0, 2244 रकबा 0.06 है0, 2245 रकबा 1.10 है, 2246 रकबा 0.13 है0, 2247 रकबा 0.50 है0 किता 17 रकबा 5.49 है0 में से हिस्सा 1/2 वाके ग्राम बहादपुर पट्टी कटला का खातेदारी पट्टा अपीलान्ट्स के हक में जारी किया गया था, इसी अनुसार नामान्तकरण दर्ज व मंजूर होना चाहिए था। जिसका नामान्तकरण संख्या 909 उक्तानुसार सही दर्ज कर दिया लेकिन उसके आगे शब्द बाकी बदस्तूर 1/2 गलत दर्ज कर स्वीकार कर दिया गया।

अपीलान्ट्स ने सनद/पट्टा प्राप्त कर नकल हल्का पटवारी को दे दी थी, और अपीलान्ट्स समझते रहे कि मुताबिक सनद/पट्टा नामान्तकरण दर्ज हो गया होगा। अपीलान्ट्स अशिक्षित व ग्रामीण व्यक्ति है, जिस कारण गलत नामान्तकरण दर्ज होने की जानकारी अपीलान्ट्स को पूर्व में थी। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दिनांक 06-09-2013 को दर्ज किया जिसमें सहबन से पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण के खाना नम्बर 08 व 09 में शब्द बाकी बदस्तूर 1/2 भर दिया। उक्त समस्त अंकन सही है लेकिन सहवन से बाकी बदस्तूर 1/2 दर्ज कर दिया गया जिसका आई एल आर ने भी सही मिलान नही किया और ना ही तहत अदालत ने तस्दीक करते समय गौर किया और अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार कर दिया। सनद/पट्टा का तहत अदालत ने सही अवलोकन नहीं किया ना ही अपीलान्ट्स को सुनवाई का कोई मौका दिया। तहत अदालत को सनद/पट्टा के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करना चाहिए। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को सर्वप्रथम दिनांक 05-05-2017 को हुई जिस पर नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट्स ने अपीलीय आदेश दिनांक 09-09-2013 के विरूद्ध दिनांक 09-06-2017 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 05-05-2017 होना जाहिर किया है। रैस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अपीलान्ट्स के कथनो पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट्स ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन इंतकाल सनद/पट्टा के अनुसार दर्ज नहीं किया है। अपीलाधीन इंतकाल का अवलोकन किया इंतकाल की कॉलम संख्या 7 में बाकी बदस्तूर हिस्सा 1/2 अंकित है जबकि कॉलम संख्या 9 में भी बाकी बदस्तूर हिस्सा 1/2 अंकित है जिससे जाहिर है कि सनद्/पट्टा के अनुसार तहत अदालत ने इंतकाल दर्ज नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं तहत अदालत का आदेश दिनांक 09-09-2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार बहादरपुर (अलवर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रभावित पक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकॉर्ड पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली वाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09-04-2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/04/18

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर, अलवर